

## कार्यकारी सार

### प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 के लिए हरियाणा सरकार के राज्य वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन और लेखों की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार और राज्य के वित्त से संबंधित अन्य मामलों का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यकारी सार इस प्रतिवेदन की सामग्री पर प्रकाश डालता है तथा महत्वपूर्ण आंकड़ों और पहलुओं के स्नैपशॉट के माध्यम से, राजकोषीय स्थिरता, बजटीय प्रयोजन के विरुद्ध निष्पादन, राजस्व एवं व्यय अनुमान, भिन्नता के कारणों और इसके प्रभाव की जानकारी प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (मौजूदा कीमतों पर) 9.63 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़कर 2019-20 में ₹ 7,38,052 करोड़ से 2023-24 में ₹ 10,95,535 करोड़ हो गया। राज्य का बजट परिव्यय 10.83 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 2019-20 में ₹ 1,56,449.71 करोड़ से 2023-24 में ₹ 2,36,560.07 करोड़ हो गया। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 8.83 प्रतिशत थी। 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियां 13.59 प्रतिशत की दर से बढ़ी और सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 9.25 प्रतिशत रही। इस अवधि के दौरान कर राजस्व में 15.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राज्य के स्व-कर राजस्व में 15.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हरियाणा राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ऋण और अग्रिम) 2022-23 में ₹ 1,20,533 करोड़ से 10.49 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2023-24 में ₹ 1,33,172 करोड़ हो गया। इसमें से राजस्व व्यय में 2022-23 से 6.38 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। राजस्व घाटा ₹ 17,212 करोड़ से घटकर ₹ 11,881 करोड़ हो गया, जिसमें 2022-23 की तुलना में 30.97 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जबकि राजकोषीय घाटा 2022-23 में ₹ 31,027 करोड़ से थोड़ा बढ़कर 2023-24 में ₹ 31,441 करोड़ हो गया, जिसमें 1.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

### प्राप्ति-व्यय बेमेल

प्राप्तियों और व्यय के मध्य निरंतर बेमेल बढ़ते राजकोषीय दबाव को दर्शाता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे राज्य का स्व-राजस्व, गैर-कर राजस्व, करों में राज्यों के हिस्से का अंतरण, संघ सरकार से सहायता अनुदान एवं अंतरण और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व लेखे के साथ-साथ पूंजीगत लेखा (परिसंपत्ति निर्माण, ऋण एवं अग्रिम, निवेश, आदि) पर व्यय शामिल है।

2019-20 से 2023-24 तक, राजस्व प्राप्तियां 9.19 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ ₹ 67,858 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,01,315 करोड़ हो गई। इस अवधि के दौरान पूंजीगत

प्राप्तियां (अर्थोपाय अग्रिम सहित) भी ₹ 48,617 करोड़ से बढ़कर ₹ 63,143 करोड़ हो गई। राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का हिस्सा 2019-20 में 15.51 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 8.25 प्रतिशत हो गया। राज्य सरकार को वर्ष में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 2,769 करोड़ प्राप्त हुए।

राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के अवसरचना और सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होगी। 2019-20 और 2023-24 के मध्य, राजस्व व्यय ₹ 84,848 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 11.50 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 1,13,196 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 10.33 प्रतिशत) हो गया। इस अवधि के दौरान यह लगातार आठ प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ते हुए कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (82 से 93 प्रतिशत) बना रहा।

### **साधन से अधिक व्यय का परिणाम**

राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के मध्य अंतर के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा होता है। राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2019-20 में ₹ 16,990 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.30 प्रतिशत) से घटकर चालू वर्ष में ₹ 11,881 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.08 प्रतिशत) हो गया।

राज्य सरकार ने पूंजीगत लेखा में ₹ 15,921 करोड़ खर्च किए। वर्ष 2023-24 में यह कुल व्यय का 11.96 प्रतिशत था। पूंजीगत व्यय कुल उधारी का केवल 18 प्रतिशत था। इस प्रकार, उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजीगत निर्माण/विकास गतिविधियों के बजाय मुख्य रूप से वर्तमान व्यय को पूरा करने और उधार के पुनर्भुगतान के लिए किया जा रहा था।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्ति के मध्य अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2019-20 में ₹ 30,518 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.13 प्रतिशत) से बढ़कर 2023-24 में ₹ 31,441 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.87 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय की प्रमाणा सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रतिबद्ध व्यय का संसाधनों पर पहला प्रभार होता है और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन, मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल होता है। ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय ने 2019-20 और 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय का 54-56 प्रतिशत संघटित किया। प्रतिबद्ध व्यय औसतन 8.76 प्रतिशत की दर से बढ़ा अर्थात् 2019-20 में ₹ 46,786 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 62,980 करोड़ हो गया।

2019-20 से 2023-24 के दौरान अनम्य व्यय राजस्व व्यय के 7.90 प्रतिशत से घटकर 6.32 प्रतिशत हो गया, जो बढ़ती प्रवृत्ति का परिचायक है। अनम्य व्यय 2022-23 में 22.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 5,865 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 7,157 करोड़ हो गया।

कुल मिलाकर, 2023-24 में प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय ₹ 70,137 करोड़ था; राजस्व व्यय का 62 प्रतिशत। प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार को अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और पूंजीगत निर्माण के लिए कम नम्यता के साथ छोड़ देती है।

### **सब्सिडी गैर-प्रतिबद्ध व्यय का बड़ा हिस्सा है**

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत, सब्सिडी पर व्यय 2019-20 में ₹ 8,105 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹ 7,650 करोड़ हो गया, 2021-22 में बढ़कर ₹ 9,535 करोड़ हो गया, 2022-23 में घटकर ₹ 9,360 करोड़ हो गया और 2023-24 में बढ़कर ₹ 10,718 करोड़ हो गया जो कि राजस्व प्राप्तियों का 10.58 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 9.47 प्रतिशत था। विद्युत के लिए: ₹ 7,947 करोड़ (74.15 प्रतिशत), कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए: ₹ 2,236 करोड़ (20.86 प्रतिशत), ग्राम और लघु उद्योग के लिए: ₹ 436 करोड़ (4.07 प्रतिशत) और सामाजिक सेवाओं के लिए: ₹ 99 करोड़ (0.92 प्रतिशत) की सब्सिडी वितरित की गई।

### **बजट से बाहर उधार**

राज्य सरकार ने हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से वर्ष के आरंभ में अर्थात् 1 अप्रैल 2023 को ₹ 279.10 करोड़ के बकाया ऋणों के विरुद्ध हुडको को ऋण के रूप में ₹ 77.50 करोड़ (₹ 55 करोड़ जमा ₹ 22.50 करोड़) की राशि चुकाई। वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया गया, जिससे वर्ष के अंत में अर्थात् 31 मार्च 2024 को ₹ 201.60 करोड़ का शेष रह गया।

### **गारंटियों के कारण आकस्मिक देयताएं**

31 मार्च 2024 तक ₹ 24,214.81 करोड़ की कुल गारंटियों में से 95.96 प्रतिशत (₹ 23,235.96 करोड़) मुख्य रूप से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (₹ 7,313.36 करोड़), हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसरचना विकास निगम (₹ 2,575.47 करोड़), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 7,231.56 करोड़), हरियाणा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 717.07 करोड़) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 5,398.50 करोड़) के संबंध में थी। 2023-24 के दौरान दी गई गारंटी के लिए सरकार द्वारा किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया।

### **राजकोषीय स्थिरता**

राजकोषीय स्थिरता की जांच घाटे, ऋण और देयताओं के स्तर, बजट से बाहर उधार के कारण प्रतिबद्धताओं, गारंटी, सब्सिडी आदि जैसे मैक्रो-राजकोषीय मापदंडों के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय के मध्यम मेल न होने का प्रश्न है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय है, जिसमें वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज इत्यादि और अन्य अनम्य व्यय जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता से सृजित होने वाले व्यय, आरक्षित निधियों में अंतरण, स्थानीय निकायों में अंतरण आदि भी शामिल हैं।

## राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम आवश्यकताएं और राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम)/नियमों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की निश्चित प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और ऋण के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 2023-24 में, राजस्व घाटा 1.51 प्रतिशत के लक्ष्य/अनुमान के विरुद्ध 1.08 प्रतिशत था; राजकोषीय घाटा 2.96 प्रतिशत के लक्ष्य/अनुमान के विरुद्ध 2.87 प्रतिशत था; सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए कुल बकाया देयता का अनुपात 25.45 प्रतिशत के लक्ष्य/अनुमान के विरुद्ध 29.81 प्रतिशत था।

ऋण स्थिरता विश्लेषण के अनुसार, हरियाणा सरकार की कुल देयता 2019-20 से 2023-24 के दौरान औसतन 12.16 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ी है। ऋण से सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात जो 2020-21 में 32.74 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 30.38 प्रतिशत हो गया था, 2023-24 में और घटकर 29.81 प्रतिशत हो गया। रेट स्प्रेड के साथ-साथ डोमर-गैप में उल्लेखनीय सुधार के साथ-साथ प्राथमिक बैलेंस में सुधार ने 2023-24 में ऋण से सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में गिरावट में योगदान दिया। इस प्रकार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राथमिक बैलेंस में नीचे की ओर दबाव अनुकूल रेट स्प्रेड और डोमर-गैप द्वारा अवशोषित कर लिया गया, जिससे पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद ऋण अनुपात में मामूली गिरावट आई।

### बजट निष्पादन

#### कुल व्यय परिणाम

बजटीय प्रयोजन और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट निष्पादन की जांच यह आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय परिणाम किस सीमा तक अधिकता और बचत दोनों के संदर्भ में वास्तविक रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है। राजस्व भाग में, बजट अनुमान (बी.ई) की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 10.31 प्रतिशत था। यह 13 अनुदानों में 25 प्रतिशत तक और चार अनुदानों में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के मध्य अधिकता/बचत के कारण था। पूंजीगत भाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन 4.51 प्रतिशत था। यह छः अनुदानों में 25 प्रतिशत तक, सात अनुदानों में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के मध्य; और पांच अनुदानों में 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य अधिकता/बचत के कारण था।

#### व्यय संरचना परिणाम

बजट निष्पादन यह भी दर्शाता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के मध्य पुनः आबंटन ने व्यय संरचना में भिन्नता में किस सीमा तक योगदान दिया है। यह जांच अंतिम बजट और वास्तविक व्यय के मध्य भिन्नता की सीमा को दर्शाती है। राजस्व भाग में, संशोधित अनुमान (आर.ई.) की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 5.66 प्रतिशत था। यह 17 अनुदानों में 25 प्रतिशत तक अधिकता/बचत के कारण था। पूंजीगत भाग में, संशोधित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 1.99 प्रतिशत था। ऐसा 11 अनुदानों में

25 प्रतिशत तक की बचत, पांच अनुदानों में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के मध्य की बचत और दो अनुदानों में 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य की बचत के कारण हुआ।

वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या उससे अधिक के 19 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 8,921.48 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं पहुंचा। छः मामलों में, ₹ 4,622 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ क्योंकि यह आवश्यकता से अधिक था।

*समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन दर्शाता है कि यद्यपि वास्तविक व्यय और वास्तविक बजट के साथ-साथ वास्तविक व्यय और अंतिम बजट के मध्य विचलन 10 प्रतिशत से कम था, विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत और उससे भी अधिक तक विचलन थे। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि कई मामलों में, ऐसे अनुपूरक प्रावधान थे जहां व्यय वास्तविक अनुदान तक भी नहीं पहुंचा। ऐसे विचलनों से निपटने के लिए एक विश्वसनीय बजटीय व्यवहार अपेक्षित है।*

### **लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग**

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग उन मदों, लेन-देन और इवेंट्स को कवर करती है जो अनुपालन में अंतराल, नियमितता की कमजोरियों और उन लेखांकन अभिलेखों या समायोजन अभिलेखों की प्राप्ति में देरी से संबंधित मामलों से संबंधित हैं जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह लेखों और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मामलों जैसे कि ब्याज वाली जमा राशि के संबंध में देयता का निर्वहन न करना, उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में देरी, बैंक खातों में निधियों की पार्किंग और लेखांकन मानकों का अनुपालन पर भी प्रकाश डालता है।

### **अनुदान/विनियोग से अधिकता का नियमितीकरण**

राज्य सरकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित किए गए अनुदान/विनियोग पर अधिकता प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2023-24 के दौरान दो अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा दिए गए प्राधिकार से ₹ 1,335.24 करोड़ अधिक संवितरित किए गए।

### **भारत सरकार लेखांकन मानकों का अनुपालन**

भारत सरकार लेखांकन मानकों (आईजीएएस) की आवश्यकताओं के विपरीत, राज्य सरकार ने भारत सरकार लेखांकन मानक-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम का अनुपालन नहीं किया क्योंकि ऋण एवं अग्रिम के अंतिम शेष का ऋण लेने वाली संस्थाओं द्वारा समाधान नहीं किया गया था।

### **एकल नोडल एजेंसी को निधियां**

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस-एसएनए) की राज्य सरकार/एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खजाना खातों में वर्ष के दौरान केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 2,577.32 करोड़ प्राप्त हुए। 31 मार्च 2024 तक, सरकार ने ₹ 2,282.28 करोड़ का

केंद्रीय हिस्सा और ₹ 4,080.11 करोड़ का राज्य हिस्सा एकल नोडल एजेंसी को अंतरित कर दिया। ₹ 6,362.39 करोड़ के कुल अंतरण में से, ₹ 162.46 करोड़ सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से, ₹ 2,975.96 करोड़ सहायतानुदान बिलों के माध्यम से, ₹ 3,223.97 करोड़ पूरी तरह से प्रमाणित आकस्मिक बिलों के माध्यम से अंतरित किए गए। वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज एकल नोडल एजेंसी से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए थे। ₹ 2,577.32 करोड़ के केंद्रीय अंशदान के विरुद्ध, अंतरण ₹ 2,282.28 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 295.04 करोड़ का कम अंतरण हुआ।

राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी/एकल नोडल एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक एकल नोडल एजेंसी के बैंक खातों में ₹ 2,683.41 करोड़ बिना खर्च किए पड़े हैं। वित्त लेखों और एकल नोडल एजेंसी के अनुसार आंकड़े समाधान के अधीन हैं।

### **बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र**

निर्धारित समय अवधि के भीतर सहायता अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बावजूद 31 मार्च 2024 तक ₹ 17,019.50 करोड़ के 2,037 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित थे।

निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र, नियत उद्देश्यों के लिए अनुदान के उपयोग के संबंध में आश्वासन के अभाव को दर्शाते हैं तथा उस सीमा तक लेखों में दर्शाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता।

### **सार आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल**

इसी प्रकार, सार आकस्मिक (एसी) बिलों के माध्यम से आहरित अग्रिम धन के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2024 तक ₹ 369.67 करोड़ के 855 सार आकस्मिक बिल विस्तृत आकस्मिक बिल के विरुद्ध जमा करने के लिए लंबित थे, जिनमें से ₹ 133.33 करोड़ की राशि के 322 सार आकस्मिक बिल 2022-23 तक की अवधि से संबंधित थे।

विस्तृत आकस्मिक बिलों का विलंब से प्रस्तुतीकरण यह दर्शाता है कि निधियां तत्काल भुगतान की आवश्यकता के बिना ही निकाल ली गई थी और इससे लेखों की पूर्णता और सत्यता प्रभावित हो सकती है।

*प्रचलित नियमों और संहिता प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में नियंत्रण और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए है। गैर-अनुपालन और विचलन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत न करना; सार आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत न करना; भारत सरकार लेखांकन मानक-3 का अनुपालन न करना; और एकल नोडल एजेंसी से व्यय के विवरण की आपूर्ति न होने से खातों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।*